कार्यालय नगर पंचायत बदरीनाथ, चमोली।
सार्वजनिक सूचना

नगर पंचायत बदरीनाथ, चमोली सीमान्तर्गत उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियिम–1916 की धारा– 298 (1) (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) के अर्न्तगत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगर पंचायत बदरीनाथ द्वारा "ईको पर्यटक शुल्क उपनियम–2020" बनायी जाती हैं, जो नगर पालिका अधिनियम–1916 की धारा–301 (1) के अर्न्तगत जनसामान्य एंव जिन पर इस उपविधि का प्रभाव पड़ने वाला हो, उनसे आपत्ति एंव सुझाव हेतु प्रकाशित की जा रही है।

अतः समाचार पत्र में उपविधि के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर लिखित सुझाव एंव आपत्तियॉ अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत बदरीनाथ, कैम्प कार्यालय पर्यटक आवास गृह, निकट कैनरा बैंक जोशीमठ चमोली को प्रेषित की जा सकेगी। वाद मियाद प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर कोई विचार नही किया जायेगा।

अ. सामान्य–

1. संक्षिप्त नाम और लागू होने की तारीखः
   (1) ये उपनियम नगर पंचायत बदरीनाथ, चमोली "ईको पर्यटक शुल्क उपनियम–2020" कहलायेगा।
   (2) ये उपनियम नगर पंचायत बदरीनाथ, चमोली के सरकारी गजट उत्तराखण्ड में प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी होंगे।
   (3) ये उपनियम लागू होने से उ0प्र0 सरकार की अधिसूचना संख्या 3707 / 9–1–89–20 एनए 250 / 89 दिनॉक 03.07.1989 के तहत बद्रीनाथ में प्रवेश पर 2 रु0 प्रति यात्री की दर से लिया जाने वाला तीर्थयात्री कर अतिक्रमित समझा जायेगा।
2. ये उपनियम नगर पंचायत बदरीनाथ की सीमाओं के भीतर लागू होंगे।

ब. परिभाषा–

1. नगर पालिका अधिनियम से तात्पर्य नगर पालिका अधिनियम 1916 एक्ट सं0 (2) उत्तराखण्ड अनूकूलन एंव उपान्तरण अध्यादेश 2002 से हैं।
2. नगर पंचायत से तात्पर्य नगर पंचायत बदरीनाथ, जनपद चमोली से हैं।
3. अधिशासी अधिकारी से तात्पर्य नगर पंचायत बदरीनाथ, चमोली के अधिशासी अधिकारी से हैं।
4. ईको पर्यटक टैक्स शुल्क से तात्पर्य उस शुल्क से है जो कि पंचायत द्वारा निर्धारित बैरियर / नाके पर ऐसे पर्यटक वाहनों से लिया जायेगा जो कि बद्रीनाथ नगर में भ्रमण हेतु प्रवेश करते हो।
5. पर्यटक का तात्पर्य बदरीनाथ में प्रवेश करने वाले पर्यटको से होगा।
6. नाके से तात्पर्य बदरीनाथ में नगर पंचायत द्वारा स्थापित बैरियर / नाके बूथ से होगा।

स. शुल्क विवरण अधिरोपण एंव संग्रह–

ईको पर्यटक शुल्क ऐस सभी वाहनों, जो बद्रीनाथ मार्ग पर स्थित नाका / बैरियर से प्रवेश कर पर्यटकों को बद्रीनाथ ला रहे हों, को देय होगा। जिस हेतु प्रत्येक वाहन { स्वामी / चालक } द्वारा निम्नानुसार प्रति प्रवेश पर अदा किया जायेगा। पर्यटक शुल्क वसूली नियुक्त / अधिकृत को निम्नानुसार प्रति प्रवेश पर अदा किया जायेगा, जिसके लिए नाके / बैरियर पर नियुक्त / अधिकृत कर्मचारी द्वारा निर्धारित रसीद बुक से रसीद की एक प्रति वाहन {

स्वामी / चालक } को उपलब्ध करायी जायेगी। नगर पंचायत बदरीनाथ सीमान्तर्गत प्रति प्रवेश करने पर शुल्क निम्नानुसार देय होगा।

बस	रुपये 100 प्रति वाहन
टैम्पो ट्रैवलर / मिनी बस	रुपये 70 प्रति वाहन
कार, जीप ,वैन, सूमो	रुपये 40 प्रति वाहन
दो पहिया वाहन	रुपये 10 प्रति वाहन

द. ईको पर्यटक शुल्क का उपयोग–

ईको पर्यटक शुल्क से प्राप्त होने वाली आय का उपयोग नगर पंचायत द्वारा अपने स्तर से पर्यावरण एंव पर्यटन विकास (सफाई व्यवस्थाओं, जागरुकता अभियान, निर्माण कार्य, ईको पर्यटक शुल्क संचालन आदि) पर किया जायेगा।

अनुज्ञा / शास्ति / छूट–

1. बदरीनाथ नगर के नागरिकों को पर्यटक शुल्क से मुक्त रखने के लिए अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत बदरीनाथ के हस्ताक्षरित प्रवेश पास निर्गत किया जायेगा। ग्राम सभा माणा के नागरिकों को पर्यटक शुल्क से मुक्त रखने के लिए ग्राम प्रधान माणा / अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत बदरीनाथ के हस्ताक्षरित प्रवेश पास निर्गत किया जायेगा।
2. भारत सरकार / राज्य सरकारों / सेना के सभी वाहन ईको पर्यटक शुल्क से मुक्त रहेंगे।
3. स्थानीय निकायों / जिला पंचायतों / भारत सरकार अथवा राज्य सरकारों के विभिन्न निगमों के शासकीय वाहनों को ईको पर्यटक शुल्क से मुक्त रखा जायेगा।
4. शव वाहन, एम्बुंलेंस, मालवाहक वाहन, निर्वाचन वाहन, विवाह वाहन तथा शासकीय प्रयोजन में प्रयोग किये जाने वाले अन्य निजी वाहनों को भी ईको पर्यटक शुल्क से मुक्त रखा जायेगा।
5. बदरीनाथ नगर की स्थानीय टैक्सियों को उनके द्वारा पंचायत कार्यालय से कपाट खुलने के एक माह के भीतर रुपये 500 जमा करने के पश्चात् पंचायत द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर अधिशासी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रवेश पत्र दिखाने पर ईको पर्यटक शुल्क से मुक्त रखा जायेगा।

शास्ति

नगर पालिका अधिनियम–1916 की धारा 299(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन नगर पंचायत बदरीनाथ एतत् द्वारा निर्देश देती हैं, कि इस उपनियम के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन करने पर पंचायत के अधिशासी अधिकारी द्वारा न्यूनतम 500 से अधिकतम 5000 रु0 तक जुर्माना किया जा सकेगा।

16/1/20

(सुनील पुरोहित)
अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत बद्रीनाथ।

(अनिल कुमार चन्याल)
प्रभारी अधिकारी
नगर पंचायत बद्रीनाथ।